UPET010003772026

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा।
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिलः: उच्चतर न्यायिक सेवा :: JO Code-U.P.02751
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–159 सन 2026

1–उदयराज सिंह उम्र करीब 68 वर्ष पुत्र रघुवीर सिंह निवासी जागृति बिहार जिला मेरठ।
2–सुनहरीलाल उपनिरीक्षक उम्र 62 वर्ष पुत्र वनी सिंह निवासी सलेमपुर, थाना सादाबाद, जिला हाथरस।
3–समय सिंह कांस्टेबिल 733 उम्र 53 वर्ष पुत्र श्री वीरनरायन सिंह निवासी सरायदाउद थाना बलदेव जिला मथुरा।
4–उमेन्द्र सिंह कां० 704 उम्र 51 वर्ष पुत्र रामसिंह निवासी गंगपुरा पुख्ता थाना कादरचौक बदायुं।
5–राज नराजन सिंह कां० 572 उम्र 54 वर्ष पुत्र रामस्वरूप निवासी कुवेरपुर थाना एलाऊ मैनपुरी।
6–उमेश उपाध्याय कां० 150 उम्र 62 वर्ष पुत्र पातीराम निवासी रमायान थाना भरथना इटावा।
7–अवरार हुसैन कां० 17 उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री अनवार सिंह निवासी नं०–8 साहबगंज, कस्वा व थाना विल्सी बदायूं।

.....अभियुक्तगण

बनाम
राकेश कुमार चतुर्वेदी

07.03.2026

एस.एस.टी.स.–54/2003
धारा–395 भा०दं०सं०
थाना–सहावर, जिला– कासगंज

आदेश

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण उदयराज सिंह, सुनहरीलाल, समय सिंह, उमेन्द्र सिंह, राज नरायन सिंह, उमेश उपाध्याय एवं अवरार की ओर से एस.एस.टी.स.–54/2003, धारा–395 भा०दं०सं० थाना–सहावर, जिला– कासगंज के मामले में अग्रिम जमानत **(Anticipatory Bail)** हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र के कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व० प्रहलाद शंकर चतुर्वेदी ग्राम फरौली थाना सहावर जिला एटा का निवासी है

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.03.07 16:13:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और गांव में रहकर खेती का कार्य करता है दिनांक 14–05–2000 को समय लगभग 11.30 बजे रात्रि में उदयराज सिंह थानाध्यक्ष सहावर मय अपने साथी सब इन्स्पेक्टर सुनहरीलाल कानि० समय सिंह कानि० महेन्द्र सिंह व कानि० राज नरायन, कानि० उमेश उपाध्याय एवं कानि० अवरार हुसैन के साथ मय सरकारी पिस्टल एवं रायफल के प्रार्थी के मकान पर आये प्रार्थी उस समय अपने मकान में सो रहा था। थानाध्यक्ष उदयराज सिंह ने प्रार्थी को आवाज दी जब प्रार्थी ने कहा कि क्या बात है तो थानाध्यक्ष ने कहा कि तुम्हारे मकान की तलाशी लेनी है। प्रार्थी ने जब वाहर आकर उपरोक्त पुलिस वालो से तलाशी लेने का कारण पूछा तो उपरोक्त सभी पुलिस वाले प्रार्थी को डाटने फटकारने लगे और कहा कि हम पुलिस वाले हैं हमारे कार्य में वाधा पहुचाओगे तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। थानाध्यक्ष के यह आदेश को देखते क्या हो साले के मकान में घुस जाओ और जो मिले उसे लूट लो। सभी पुलिस वाले एक राय मशवरा होकर प्रार्थी को पकड़कर प्रार्थी के मकान के अन्दर ले गये और कहा कि साले बता रूपये कहाँ रखे है। उपरोक्त सभी मुल्जिमानों ने तलासी के बहान प्रार्थी के मकान में रखे 48000 रुपये जो कि प्रारथी ने ट्रैक्टर की किस्त जमा करने के लिये रखे थे लूट लिये एवं प्रार्थी की दो अंगूठी सोने की लगभग एक तोले एक सोने की चैन लगभग एक तोला एवं एक मग्गा खोर्च 4 सैल जवरदस्ती लूट कर ले गये। प्रार्थी ने शोर मचाया तो प्रार्थी का भाई उमेश, चाचा बाबूराम एवं गांव के अन्य लोग आ गये।

3. अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इस प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा प्रार्थना पत्र ना तो इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और ना ही निरस्त हुआ है और ना ही मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और ना ही निरस्त हुआ है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में पर्याप्त शुल्क अदा किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध पत्रावली में गैरजमानतीय वारंट जारी है। जिसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। जिससे प्रार्थीगण की सामाजिक व मान प्रतिष्ठा धुमिल हो जायेगी। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही पूर्व सजायाफ्ता व्यक्ति है। प्रार्थीगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर प्रार्थीगण विचारण में सहयोग करेगें तथा न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोडेगें। उदयराज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह पूर्व में थानाध्यक्ष सहावर के पद पर कार्यरत था तथा प्रार्थी के अधीनस्थ सुनहरी लाल (उपनिरीक्षक), समय सिंह, ओमेन्द्र सिं, राज नरायन सिंह, उमेश उपाध्याय व अबरार हुसैन (कांस्टेबिल) के पद पर कार्यरत थे तथा प्रार्थीगण ने कभी भी पुलिस कर्तव्यों के विपरीत व विधिक विरूद्ध कोई कार्य नहीं किया तथा हमेशा ईमानदारी

पूर्वक पुलिस कर्तव्यों का पालन किया तथा वर्तमान में प्रार्थी उदयराज सिंह व सुनहरीलाल सेवानिवृत्त हो चुके है। दिनांक 14/15.05.2000 को प्रार्थी उदयराज सिंह हमराह फोर्स सुनहरी लाल, समय सिंह, राज नरायन, ओमेन्द्र सिंह, उमेश उपाध्याय व अबरार हुसैन के साथ थाना हाजा सहावर से रपट नं0–41 समय 23:15 बजे रवाना होकर वास्ते रात्रि गस्त व दबिश वांछित अपराधी में मामूर थे तभी खतौली पुल से आगे पहुँचे थे कि एक व्यक्ति फरौली की तरफ से आता दिखाई दिया तथा पुलिस वालों को देखकर चलने लगा हम पुलिस वालों ने रात समय करीब 12:30 बजे उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया उसके कब्जे से एक अदद् तमंचा 12 बोर व 2 कारतूस बरामद हुये हम पुलिस वालो ने मौके पर ही फर्द तैयार की तथा तमंचा को मौके पर सील किया गया अभियुक्तगण के विरूद्ध अ0सं0–99/2000 धारा–25 आर्म्स एक्ट थाना–सहावर पर पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त द्वारा निरर्थक व झूठे तथ्यों के आधार पर एक परिवाद श्रीमान् जी के न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि हम प्रार्थीगण ने दिनांक 14.05.2000 को 11:30 बजे राकेश कुमार चतुर्वेदी पुत्र प्रहलाद शंकर चतुर्वेदी के घर में घुसकर 48000/–रू0, 2 अंगूठी सोने की, एक तोला सोने की चैन व अन्य सामान लूट लिया तथा शोर पर भाई उमेश, चाचा बाबूराम गाँव के होरीलाल, कालेश्वर नाथ, हरिकिशोर, गिरीश चन्द्र, विजय जाटव आदि लोग आ गये तब गालियों देते हुये कहा कि यदि कोई बीच में आया तो गोलियों से भून देगें। हम पुलिसकर्मी गणों के विरूद्ध बिल्कुल निरर्थक गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद दाखिल किया गया है जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने पुलिस कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुये अभियुक्त राकेश कुमार चतुर्वेदी (वादी) को मय अवैध असलाह के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था प्रार्थी उदयराज सिंह स्वयं अ0सं0–99/2000 धारा–25 आर्म्स एक्ट थाना–सहावर का वादी था। शेष सहअभियुक्तगण फर्द बरामदगी के गवाह थे। वादी राकेश चतुर्वेदी द्वारा हम पुलिस वालों पर राजनैतिक व अनुचित लाभ लेकर थाने से बिना कार्यवाही के छोडने हेतु दवाब बनाया गया प्रार्थी द्वारा मुल्जिमान के किसी भी दवाब को न मानते हुये विधिक के अनुसार व विधि का शासन के अनुसार कार्यवाही की गई इस रंजिश व वैमनस्यता के कारण गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद दाखिल किया गया जबकि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई थी। परिवाद पत्र में वादी द्वारा घटना में उमेश (भाई) बाबूराम (चाचा) व गाँव के होरीलाल, कालेश्वरनाथ, गिरीश चन्द्र, विजय जाटव व गाँव के बहुत सारे लोगों से घटना को देखा जाना बताया गया तथा उनकी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी दर्शाया गया। किन्तु इतने महत्वपूर्ण मामले

में वादी द्वारा एक भी स्वतंत्र साक्षीगण जो परिवाद पत्र में चक्षुदर्शी दर्शाये गये गवाह होरीलाल, कालेश्वर नाथ, गिरीश चन्द्र व विजय जाटव व अन्य किसी गाँव के गवाह को न्यायालय में 202 सीआरपीसी के अन्तर्गतपशिक्षित नहीं कराया गया है। अतः स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित ना कराये जाने से घटना पूर्णतः असत्य है तथा मात्र रंजिश व दवाब बनाने के उद्देश्य से परिवाद दाखिल किया गया है। वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जाँच मानवाधिकार न्यायालय में 202 सीआरपीसी के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये गवाह उमेश चतुर्वेदी व बाबूराम चतुर्वेदी एक ही परिवाद के सगे सम्बन्धी है तथा इन लोगों ने भी यह कथन किया गया कि होरीलाल, कालेश्वरनाथ, गिरीश चन्द्र आदि बहुत सारे लोग आ गये किन्तु इन लोगों को 202 सीआरपीसी के अन्तर्गत न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया। प्रार्थीगण को बिना किसी साक्ष्य के दिनांक 15.07.2003 को तलब किया गया है। यदि इस प्रकार पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के दौरान झूठे मुकद्दमें दायर करके दवाब बनाया जायेगा तब उनका कर्तव्य का निर्वहन करना मुश्किल हो जावेगा। प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा विरोध करते हुए कथन किया है कि आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। तद्नुसार अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रलेखों का सम्यक परिशीलन किया।

6. दण्ड प्रकिया संहिता (उ०प्र०संशोधन) अधिनियम 2018 (उ०प्र०अधिनियम संख्या 4 सन 2019) धारा 438 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेः–

1. अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,

2. आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

3. न्यायालय से भागने की सम्भाव्यता और,

4. जहां आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्वेश्य से अभियोग लगाया गया हो, वहाँ आवेदन तत्काल स्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

अशोक कुमार शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर०एल०जे०राजस्थान 54 के निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक यह प्रथम दृष्टया दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्वेश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जायेगा तो ऐसी दशा में उसकी अन्तरिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पत्रावली वर्ष 2003 की विशेष सत्र परीक्षण वाद के रूप में पंजीकृत होने के उपरान्त करीब 24 वर्ष से उपस्थिति के स्तर पर चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26–09–2023 को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.जी.पी. एवं संबंधित एस.एस.पी. के संबंध में विचार व्यक्त करने के उपरान्त निरस्त हुआ था। अभियुक्तगण पर परिवादी द्वारा उसके घर में रखे 48,000 रुपये लूटने का आक्षेप लगाया गया है। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण उदयराज सिंह, सुनहरीलाल, समय सिंह, उमेन्द्र सिंह, राज नरायन सिंह, उमेश उपाध्याय एवं अवरार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0)
एटा।